13.31 hrs.

PETITION RE. PUNJAB MUNICIPAL (DELHI AMENDMENT) BILL

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब नगरपालिका (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1966 के बारे में एक याचिकादाता द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मुझे इसके बारे में कुछ कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सिर्फ एक पिटीशन पेश की है । उसके बारे में क्या कहा जा सकता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नियम 357 के अन्तर्गत जो अर्जी दी गई है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि नियम 174 में मैं ने भी नोटिस दी थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला । चूंकि माननीय सदस्य के खिलाफ यह आरोप था कि वह प्रदर्शन में मौजूद थे इस लिये उन की बात को स्वीकार कर लिया गया । लेकिन मैंने 10 तारीख को लिखा था कि हमें इस प्रदर्शन की आड़ में सरकार की ओर से कितना बदनाम किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप डिस्कशन की नोटिस दीजिये । हां, अगर आपकी कोई अर्जी या पिटिशन है तो आप दीजिये कि वह भी इसमें शामिल कर दी जाये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं सूचना दे चुका हूं । लेकिन मुझे उसके बारे में सूचित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सूचित कर रहा हूं कि आप पिटिशन प्रेजेन्ट करें । ..... (**व्यवधान**) पिटिशन करने से हम उनको कैसे रोक सकते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे दल को इतना बदनाम किया गया । मुझको उसकी सफाई का मौका नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : दल की सफाई नहीं हो सकती । श्री कमल नयन बजाज ।

13.33 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, 7 नवम्बर को जो गोली कांड हुआ उस बारे में सदन में बोलते हुए श्री बागड़ी ने कहा कि मैं वहां मंच पर था ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : सही बात है ।

श्री कमल नयन बजाज : बाद में दूसरों ने भी जिक्र किया । इससे सदन के सदस्यों में और प्रेस में आने से काफी गलत-फहमी हुई है । उसको दूर करने के लिए मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं ।

सदन के कुछ सदस्यों ने मिल कर गोवध बन्द करवाने के लिए एक निर्वलीय गोमंच बनाया है । उस की तरफ से श्री गोविन्द दास जी, श्री प्रकाशवीर जी, डा० सिंघवी तथा मैं मीटिंग में व्यवस्थापकों से मिलने इस वास्ते गए थे कि जिससे उनको सरकार से जो कुछ निवेदन करना हो वह हमें दे दें सो वह हम लोग सरकार तक पहुंचा देंगे ।

जब हम जा रहे थे तब श्री रामेश्वरानन्द जी का व्याख्यान हो रहा था ऐसा मुझे बाद में मालूम हुआ । अचानक उसी समय कुछ हुल्लड़ की शुरुआत हुई । ** हम लोगों ने भी हुल्लड़ करने वालों को शान्त करने का प्रयास किया । वातावरण

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री कमल नयन बजाज]

एक बार शान्त सा हुआ । हम लोग मंच पर पहुंचे । वहां मीटिंग के नेताओं से चर्चा हुई । उन्होंने हम सब से मीटिंग में बोलने के लिए अनुरोध किया । श्री गोविन्द दास जी तथा प्रकाशवीर जी बोल पाये । ** हम लोगों में से भी जो प्रयत्न थोड़ा बहुत कर सके उसका नतीजा आता नहीं दिखा । तब हिंसा का वातावरण बढ़ता देख कर हम लोग डा० सिंघवी जी तथा मैं बिना बोले ही प्रकाशवीर जी के साथ मुश्किल से मंच के नीचे उतर पाये । सेठ गोविन्द दास जी पहले ही चले गये थे । ** अश्रुगैस छोड़ी वह कुछ हम लोगों को भी लगी । मैं करीब दो बजे तक वहां रहा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा । अगर निकालना हुआ तो निकाल दूंगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमें बदनाम किया गया ह ।

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Has he submitted a copy of that statement to you and you have allowed it?

Mr. Speaker: He has sent a copy to me.

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order.

Mr. Speaker: I will expunge that. I find that there are objectionable and controversial things. He would kindly see that this personal explanation is not in order. If that has been recorded, it will be put up before me, because I would like to expunge certain portions. They are not in order and they cannot be allowed by way of personal explanation.

Shrimati Renu Chakravartty: The only point which has been made on the floor of the House, as far as I know, is that a leading Congress Member like Shri Kamalnayan Bajaj was on the platform of that particular demonstration. That is all.

Mr. Speaker: He can only say why he was there; he should not comment on what has happened and make accusations against some members.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): He cannot say why he was there; he can say either he was there or not.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): No debatable matter can be brought into a personal explanation.

Mr. Speaker: Let me scrutinise the statement. Let me see what ultimately comes before me.

Shri Kapur Singh: No allegation has been made whatsoever against the hon. member, Shri Kamalnayan Bajaj as to why he was there and what he did there. The only allegation is he was there.

Mr. Speaker: The inferences were there.

श्री कमल नयन बजाज : अध्यक्ष महोदय, इतना ही ऐलिगेशन नहीं है कि मै वहां पर था श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि मुझको निरफ्तार किया जाना चाहिये था मुझको ही नहीं सेठ गोविन्द दास को गिरफ्तार किया जाना चाहिये था । . . . . . (व्यवधान)

Shrimati Renu Chakravartty: I say it even now.

Mr. Speaker: Before it goes on record, I shall have to look into it and scrutinise it.

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : मैं जानना चाहता हूं कि श्री कमल नयन बजाज का उन संगठनों से क्या प्रयोजन था जिनको इजाजत दी गई थी प्रोसेशन निकालने की । क्या उसे चन्दा दिया था । ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको अलाऊ नहीं कर सकता ।

Shri S. M. Banerjee: I have a point of order.

Mr. Speaker: When I am not allowing him, how can I allow you?

Shri S. M. Banerjee: I am already waiting. Please don't be angry.

Mr. Speaker: There is no question of my being angry.

Shri S. M. Banerjee: You have allowed half of the statement to be read out.

Mr. Speaker: I have said it would not go on record.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने नियम 174 और 115 के अंतर्गत नोटिस दी है ।

Mr. Speaker: I cannot answer this question in this manner. He should not cause embarrassment like this.

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमें चारों तरफ से बदनाम किया जा रहा है, हमारे दल को बदनाम किया जा रहा है । हमें आप सफाई करने का मौका नहीं दे रहे हैं । सरासर गलत बयानी मंत्री महोदय ने की है कि इसमें जन संघ का हाथ था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका नहीं दे सकता जब तक कि रेगुलर नोटिस न हो । आप कोई पिटिशन लाना चाहें तो लायें । पर्सनल एक्स्प्लेनेशन दे सकते हैं, अगर आपकी निस्बत कुछ कहा गया हो ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारे दल की बाबत कहा गया है । आपके निर्णय के अनुसार नोटिस देते हैं .....

अध्यक्ष महोदय : जब तक नोटिस नहीं आती है .....

श्री कमल नयन बजाज : श्री पाण्डेय ने पूछा है कि मेरा वहां के आर्गेनाइजर्स से क्या सम्बन्ध था .....

अध्यक्ष महोदय : वह इस वक्त नहीं आ सकता ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मेरा निवेदन है कि आपने हुक्म दिया है कि जो स्टेटमेंट हुआ है उसे आप देखेंगे और जरूरी हुआ तो उसमें से कुछ निकाल देंगे । यहां रोजाना स्टेटमेंट होते हैं आप की इजाजत से लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से निकाला गया हो ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर पर्सनल एक्स्प्लेनेशन का जो रूल है उसके अन्दर स्टेटमेंट को आना चाहिये । बाकी चीजों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री राधेलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष महोदय मैं किसी डिबेट की इजाजत नहीं दे सकता । आप अब मुझको शुरू करने दीजिये दूसरी चीज ।

Shri D. D. Puri (Kaithal): I want to know for our guidance what portions of the statement..... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर बहस नहीं अलाऊ कर सकता ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण क्या खत्म हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री मधु लिमये : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । आप सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब नहीं सुन सकता हूं । मैं ने उनको इजाजत नहीं दी तो आपको कैसे दे सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : उस के बारे में नहीं है । नियमों के बारे में कह रहा हूं । मेरा भी एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है । आपने नामंजूर किया है । उनको इजाजत कैसे मिली है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आप नहीं कह सकते हैं । उनको मैंने इजाजत दी थी ।

श्री मधु लिमये : इस में मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं । कोई काबिले एतराज बात नहीं कह रहा हूं । अगर हो तो आप निकाल दें, मुझे एतराज नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इजाजत नहीं दी है ।

श्री मधु लिमये : आप पुनर्विचार करें । मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने दीजिये । कोई आपत्तिजनक बात आप देखें तो निकाल दें । मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में चर्चा हो रही है । यहां चर्चा नहीं होगी । मैंने इसकी मांग की थी और आपने विश्वास दिलाया था .....

अध्यक्ष महोदय : नहीं रुकेंगे तो मुझे कुछ कहना होगा । मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आप इस तरह से न बोलते चले जायें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : राज्य सभा में चर्चा हो रही है

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा में चर्चा हो तो मैं क्या करूं । चूंकि वहां चर्चा हो गई, इसलिए मैं इजाजत दे दूं ? यह नहीं हो सकता है । मैं इस बात से मुत्तासिर नहीं हो सकता कि राज्य सभा में हुई है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : गोलीकाण्ड हुआ है और उस पर यहां पर चर्चा न हो? आपने विश्वास दिलाया था कि आप चर्चा करवायेंगे । कब करवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से वक्त जाया न करें । यह ठीक नहीं है ।

श्री मधु लिमये : इसके बारे में क्या प्रक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री मधु लिमये : कब लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं बता सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : इधर भी नहीं उठा सकते है, बाहर भी नहीं बता सकते हैं, यह तो मनमानी हुई ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : चर्चा होगी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता हूं । यह वक्त नहीं है बताने का ।

13.42 hrs.

DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANT, 1966-67 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 1963-64 IN R/SPECT OF RALWAYS—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now proceed with further discussion and voting on the Supplementary Demand for Grant in respect of the Budget (Railways) for 1966-67 and further discussion and voting on the Demands for Excess Grants in respect of the Budget (Railways) for 1963-64. Shri Dinen Bhattacharya may continue his speech.